छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-11

<u>रायपुर, गुरूवार, दिनांक 17 मार्च, 2016</u>

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 03, एवं 06 से 17 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01, 04 एवं 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री मनोज सिंह मंडावी, श्री विद्यारतन भसीन एवं डॉ (श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 **पटल पर रखा।**

3. पृच्छा

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने हेतु श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य का नाम पुकारा गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कथन किया कि कांग्रेस विधायक दल के निर्णय के कारण माननीय गृहमंत्री के किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि कल की घटना का पटाक्षेप हो गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने हेतु श्री भूपेश बघेल, सदस्य का नाम पुकारा गया। उन्होंने सूचना नहीं पढ़ी । (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि माननीय मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया है और अपने शब्द वापस ले लिये हैं।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन में उपस्थित रहते हुए आसंदी से नाम पुकारे जाने पर अपनी सूचना नहीं पढ़ना संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है। यदि कोई सदस्य उनकी सूचना सदन में आने पर नहीं पढ़ना चाहता है तो उचित यह होगा कि वह तत्समय सभा से अनुपस्थित हो जाये।

अध्यक्षीय व्यवस्था पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य द्वारा टिप्पणी की गई कि जरूरत पड़े तो मार्शल बुला लीजिए।

5. पृच्छा

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि आसंदी के निर्देश के बाद ये कमेंट करना कि आप मार्शल बुला लीजिए क्या ये संसदीय व्यवहार है ?

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यह सीधे-सीधे आसंदी की अवमानना है। संसदीय कार्य के लिए जो प्रक्रिया एवं नियम आपने बनाये हैं उनका पालन आप सबके द्वारा होना है। आप उस प्रक्रिया का भी पालन नहीं करना चाहते हैं तो इस सदन को संचालित करने हेतु जो किताब है उसे किस रूप में लिया जाए। आप लोग जो व्यक्तिगत राय देंगे उस हिसाब से सदन चलेगा ? नियम प्रक्रिया एवं परिपाटियॉं हैं क्या उसको तोड़कर सदन चलाया जायेगा ?

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी मान लीजिए अनुपस्थित नहीं होते तो क्या करेंगे ?

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य द्वारा आसंदी से कहे गये कथन पर आपत्ति की कि बार-बार आसंदी से बहस करना घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने आसंदी से माननीय सदस्य को प्रताड़ित करने का आग्रह किया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा आसंदी के प्रति किया गया आचरण उचित नहीं है और बार-बार वही आचरण दोहराना अत्यंत आपत्तिजनक है। मैं माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के असंसदीय आचरण एवं व्यवहार की निंदा करता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा आरोपात्मक कथन किये जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये। आरोपात्मक कथन विलोपित किये गए।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अगर कोई आसंदी को चैलेंज करेगा तो निश्चित रूप से उसकी निंदा होगी। अब यह विषय समाप्त हो गया है।

7. बहिष्कार

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिष्कार किया ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने जगदलपुर के समीप सुलियागुड़ा एवं टाकरागुड़ा वन रोपणी में अनियमित व्यय किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

श्री श्रवण मरकाम ने जिला धमतरी अंतर्गत राजाडेरा में बांध का जीर्णोद्धार मरम्मत किये जाने सबंधी नियम 267-क की सूचना पढ़ी ।

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 08, 10, 13)	सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर	01 घंटा
2. (क्रमांक - 14)	श्री अमित अजीत जोगी	01 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय लोक निर्माण मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री अवधेश सिंह चंदेल,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, केशव चंद्रा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

श्री श्यामबिहारी जायसवाल, डॉ.खिलावन साहू, डॉ.विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री रामलाल चौहान, श्रीमती सरोजनी बंजारे, डॉ.सनम जांगड़े, श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिग्स,

12. बजट पुस्तिका में संशोधन

श्री राजेश मूणत लोक निर्माण मंत्री ने बजट पुस्तिका में संशोधन प्रस्तुत किया कि- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लोक निर्माण विभाग की बजट पुस्तिका क्रमांक-19 में मांग संख्या-24, मुख्य शीर्ष-5054, योजना क्रमांक-6590 (नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण) के अन्तर्गत मद क्रमांक-2 में सरल क्रमांक-19, पृष्ठ क्रमांक-19-112 की सड़क का नाम त्रुटिवश बजट पुस्तिका क्रमांक-19 के मद क्रमांक-7, सरल क्रमांक-17, पृष्ठ क्रमांक-19-92 में ''जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के घुलघुल से तिल्दा मार्ग लम्बाई 3.80 किलोमीटर'' पुनरावृत्त हुई है, उसके स्थान पर बजट पुस्तिका क्रमांक-19 के मद क्रमांक-7, सरल क्रमांक-17, पृष्ठ क्रमांक-19-

92 में छूटी हुई सड़क ''जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा के बोईरडीह-ओड़न मार्ग लंबाई 5.00 किलोमीटर पुल-पुलिया सहित'', को जोड़ते हुए संशोधित कर पढ़ा जावे।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय लोक निर्माण मंत्री की ओर से प्राप्त संशोधन संबंधी शुद्धि पत्र पूर्ण विवरण् सहित पत्रक भाग दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को वितरित किया जा रहा है।

13. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 11 प्रस्तुत की।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुए।

अनुदान मांगों की चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री श्याम बिहारी जायसवाल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, (डॉ.) खिलावन साहू, केशव चंद्रा, देवजी भाई पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा (जारी)

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 (फाल्गुन-28, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा